पत्र संख्या-9/न्या0-09-09/2016सा0प्र0...7146...../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-19 मई, 2016

विषयः- एल0पी0ए0 संख्या 75/2014 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 6140/2011, डिम्पी रानी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2012 को पारित आदेश द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या 1505/2005 के आधार पर नियुक्त आशुलिपिकों की सेवाएँ बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित रखने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 75/2014, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम डिम्पी रानी एवं अन्य दायर किया गया। एल0पी0ए0 संख्या 75/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2016 (प्रति संलग्न) को पारित आदेश में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 6140/2011 में एकल पीठ के दिनांक 17.07.2012 को पारित आदेश को न्यायोचित नहीं मानते हुए उक्त याचिका एवं आदेश को निरस्त कर दिया गया है तथा विभागीय आदेश संख्या 3250 दिनांक 23.03.2011 (प्रति संलग्न) को बहाल रखा गया है। विभागीय आदेश संख्या 3250 दिनांक 23.03.2011 द्वारा विज्ञापन संख्या 1505/2005 के आधार पर बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त आशुलिपिकों की सेवाएँ श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापन हेतु वापस लौटाने तथा इन आशुलिपिकों की बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से ही इनकी सेवा की गणना कर इनके वेतन का निर्धारण किये जाने एवं पूर्व सेवा की कार्यावधि की गणना पेंशनादि एवं प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. एल0पी0ए0 संख्या 75/2014, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम डिम्पी रानी एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.05.2016 को पारित आदेश के आलोक में विज्ञापन संख्या 1505/2005 के आधार पर बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त 15 आशुलिपिकों में से 01 आशुलिपिक श्री रितेश चन्द्र वर्मा द्वारा सेवा से त्यागपत्र दे दिये जाने के कारण शेष निम्न 14 आशुलिपिकों की सेवाएँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक 575 दिनांक 21.12.2006 द्वारा प्राप्त अनुशंसा सहित श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापन हेतु वापस की जाती है:-

क्रम संख्या	आशुलिपिकों का नाम	रौल नं0	सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान की तिथि	वर्तमान पदस्थापन का विभाग/कार्यालय
1	सुश्री ज्योति	4241	17.04.2007	स्वास्थ्य विभाग
2	श्री जय प्रकाश	2971	16.04.2007	भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग
3	श्री जितेन्द्र कुमार	3413	16.04.2007	विधि आयोग, विधि विभाग

4	श्री भरत कुमार	5154	13.04.2007	मुख्यमंत्री सचिवालय
5	श्री धनंजय कुमार	4649	17.04.2007	मुख्यमंत्री सचिवालय
6	सुश्री शफीका जबीं	2974	17.04.2007	वित्त विभाग
7	श्री पंकज कुमार	1118	18.04.2007	मुख्यमंत्री सचिवालय
8	श्री प्रभव रंजन	0619	17.04.2007	मुख्यमंत्री सचिवालय
9	श्री संजीव रंजन	4887	16.04.2007	राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
10	श्री विश्वजीत कुमार	1397	16.04.2007	राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
11	श्री धर्मेन्द्र कुमार	2461	16.04.2007	वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, वाणिज्य कर विभाग
12	श्री सुजीत कुमार	1422	16.04.2007	विधि आयोग, विधि विभाग
13	श्री नरेन्द्र कुमार	4156	13.04.2007	राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना
14	सुश्री डिम्पी रानी	1273	18.04.2007	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

3. उपर्युक्त अंकित आशुलिपिकों की बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से ही सेवा की गणना कर इनके वेतन का निर्धारण किये जाने एवं पूर्व सेवा की कार्यावधि की गणना पेंशनादि एवं प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

4. उपर्युक्त आशुलिपिकों को पत्र निर्गत की तिथि से श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान हेतु विरमित किया जाता है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19/5/16

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-9/न्या0-09-09/2016सा0प्र0.....7146...../पटना 15, दिनांक- 19 मई, 2016

प्रतिलिपिः-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं संबंधित आशुलिपिकों को विभागीय आदेश संख्या 3250 दिनांक 23.03.2011 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/16

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-9/न्या0-09-09/2016सा0प्र0.....7146...../पटना 15, दिनांक- 19 मई, 2016

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/16

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **आदेश** ::

का0आ0संख्याः–9/न्या0–09–02/2010सा0प्र0 3250 / पटना–15, दिनांक– 23/3/11

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 के निर्माण की प्रक्रिया के अन्तिम चरण में जिसके द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पूर्व के निजी सहायक संयुक्त संवर्ग को समाप्त कर केन्द्र सरकार के अनुरूप पदों के विभिन्न ग्रेडों को समाहित किया गया है, के बेसिक ग्रेड के आशुलिपिक के पद के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31.12.2005 तक के 238 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक 2455 दिनांक 13.03.2006 द्वारा अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई। आयोग ने अपने पत्र संख्या 568 दिनांक 16.12.2006 द्वारा विज्ञापन संख्या 906/06 के आधार पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में 103 सफल उम्मीदवारों की अनुशंसित सूची तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी गई।

2. आयोग द्वारा अनुशंसित उक्त 103 उम्मीदवारों की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के दौरान पुनः आयोग के पत्रांक 575 दिनांक 21.12.2006 द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (अब श्रम संसाधन विभाग) से आयोग को लौटाई गई एक दूसरी अनुशंसित सूची भेजी गई जिसमें वैसे 15 उम्मीदवार थे, जिन्होनें आयोग द्वारा वर्ष 2005 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। यद्यपि आयोग द्वारा भेजी गई दूसरी सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए किया गया था और उक्त विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल इन 15 उम्मीदवारों से मेधा क्रम में वरीय अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी क्षेत्रीय कार्यालयों में की जा चुकी थी तथापि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 17 दिनांक 02.01.2007 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए विज्ञापन संख्या 906/06 के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित 103 अभ्यर्थियों के साथ ही इनकी नियुक्ति क्रमशः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 117 एवं 118 दिनांक 05.04.2007 द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में आशुलिपिक के रिक्त पदों पर कर दी गई।

3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर अनुशंसित 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् उसी विज्ञापन के आधार पर चयनित एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त कुछ आशुलिपिकों ने सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में नियुक्त उन 15 आशुलिपिकों से अपने को वरीय होने का दावा करते हुए अपने को भी सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में ही आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का अनुरोध किया। उन आवेदकों के अभ्यावेदन पर पूर्ण विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक 10654 दिनांक 29.09.2008 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से निम्नांकित दो विकल्पों पर मंतव्य की मांग की गई :–

(क) क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त संबंधित अभ्यर्थियों से अन्तिम रूप से निर्धारित दो माह की अवधि के भीतर सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नियुक्ति/समायोजन हेतु

विकल्प प्राप्त कर आयोग पुनः अपनी अनुशंसा भेजे अथवा संबंधित कर्मी द्वारा दिया जानेवाला विकल्प एक बार एवं अन्तिम होगा।

(ख) उक्त विज्ञापन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त सभी कर्मियों से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सीधे विकल्प प्राप्त कर आयोग की तत्संबंधी पूर्व अनुशंसा को आधार बनाते हुए समुचित कार्रवाई करे।

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने पत्रांक 2028 दिनांक 29.10.2008 द्वारा उपर की कंडिका 3 (ख) में अंकित विकल्प के अनुरूप कार्रवाई करने का परामर्श दिया लेकिन विभाग द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त आवेदकों की मांग पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप क्षुब्ध आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 11718/09, निशांत गौरव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 08.09.2009 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :– " Let the petitioners represent before the Secretary, Personnel and Administrative Reforms Department, Bihar, Patna for ensuring compliance of the instructions contained in letter No. 10654 dated 29.09.2008, Annexure-9 and instructions of Secretary of the Commission contained in letter No. 2028 dated 29.10.2008 contained in Annexure-10 to the supplementary affidavit, who should consider the same in accordance with law as early as possible, in any case within two months from the date of receipt of the representation annexing a copy of this letter."

5. उपर की कंडिका 4. में अंकित माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन पर विषयाधीन मामले से भविष्य में उत्पन्न होनेवाली स्थिति की पूर्ण समीक्षा कर विभागीय पत्रांक 10937 दिनांक 06.11.2009 द्वारा विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर चयनित एवं सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित 15 आशुलिपिकों की सेवाएँ श्रम संसाधन विभाग को लौटाने का निर्णय संसूचित किया गया तथा श्रम संसाधन विभाग (पूर्व के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा प्रतिवेदित रिक्तियों के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापन हेतु इनकी सेवाएँ विभागीय पत्रांक 11075 दिनांक 10.11.2009 द्वारा उक्त विभाग को वापस कर दी गई।

6. कंडिका 5 में लिये गये विभागीय निर्णय से प्रभावित 15 आशुलिपिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 15754/2009, डिम्पी रानी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.12.2009 को अन्तरिम आदेश द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 10937 दिनांक 06.11.2009 एवं 11075 दिनांक 10.11.2009 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। फलतः विभागीय पत्रांक 1960 दिनांक 03.03.2010 से उक्त सभी आशुलिपिकों की सेवाएँ श्रम संसाधन विभाग से वापस लेकर उन्हें सचिवालय के पूर्व पदस्थापन के विभागों में वापस कर दिया गया।

7. इस बीच पुनः माननीय उच्च न्यायालय में दो याचिकाएँ क्रमशः सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 4219/10, निशांत गौरव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा 9460/10, रामकटेश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया जिसमें विभाग की ओर से क्रमशः प्रतिशपथ पत्र संख्या 3122 दिनांक 24.09.2010 तथा 29074 दिनांक 18.08.2010 दाखिल किया गया।

8. अन्ततः विषयाधीन मामले में याचिका संख्या सी०डब्लू०जे०सी० 4219/10, निशांत गौरव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, 9460/10, रामकटेश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा 15754/09, डिम्पी रानी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में एक साथ सुनवाई कर दिनांक 26.11.2010 को अन्तिम आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :—

"..........In the circumstances, viewed in its entirety, the order dated 6.11.2009 is not sustainable in its present form both with regard to the 67 persons as also the 15 persons. The order dated 6.11.2009 is accordingly set aside. As a sequence thereof the consequential order dated 10.11.2009 goes in abeyance till fresh decision is not taken.

The respondents are directed to hear these 15 persons in representative capacity as to why they be not reverted to the regional cadre in pursuance of the original Advertisement under which they came to be initially recommended. Simultaneously, it remains open for the respondents as opined by them itself in letter dated 29.09.2008 of the administrative decision for induction of these 67 persons in the available vacancies in the secretariat cadre.]It is not possible for the Court as was contended on behalf of some of the petitioners to give any directions as part of a judicial order for change of cadre from regional to secretariat when they were applicant under an advertisement for a regional cadre. The distinction between the judicial Jurisdiction and the administrative aspect of the matter is one which has to be appreciated by the respondents in its proper prospective while disposing of the matter. The Principal Secretary, Personnel and Administrative Reforms Department shall resolve the controversy and pass appropriate orders in accordance with law within a maximum period of three months from the date of receipt/ production of a copy of this order."

9. माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर चयनित एवं नियुक्त 15 में से 14 आशुलिपिकों को, क्योंकि 1 आशुलिपिक त्याग–पत्र दे दिया था और विभाग द्वारा उनके त्याग–पत्र की स्वीकृति दी जा चुकी थी, विभागीय पत्रांक 12794 दिनांक 24.12.2010 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की सूचना दी गई जिसके अनुपालन में दिनांक 10.01.2011 को श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता के माध्यम से सभी 14 आशुलिपिकों ने लिखित रूप में अपना पक्ष रखा।

10. विषयाधीन मामले में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित अधियाचना, तत्कालीन श्रमायुक्त, बिहार द्वारा आयोग को भेजी गई रिक्तियों की सूचना, आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1505/05 तथा 906/06, आयोग द्वारा तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को चयनित 15 अभ्यर्थियों की भेजी गई अनुशंसा एवं उक्त विभाग द्वारा पुनः आयोग को लौटाई गई अनुशंसा, दोनों विज्ञापनों के आधार पर 103 एवं 15 अभ्यर्थियों की तत्कालीन कार्मिक विभाग को भेजी गई अनुशंसा तथा अन्य संगत पत्रों का अवलोकन किया गया।

11. उपर की कंडिका 10 में अंकित पत्रों के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये :—

(i) श्रमायुक्त, बिहार ने अपने पत्र संख्या 2211 दिनांक 19.07.2004 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के साथ अन्य रिक्त पदों की

113

सूचना अपने नियंत्री विभाग अर्थात् तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई जिसकी प्रति सूचनार्थ अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गई। अर्थात् तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिकों के रिक्त पदों की विधिवत् विहित प्रपत्र में अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नहीं भेजी गई।

(ii) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में अधियाचना प्राप्त किये बिना ही अपने पत्र संख्या 668 दिनांक 25.05.2006 द्वारा तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा किया जाना नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है।

(iii) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 08.10.2005 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाली विज्ञापन संख्या 1505/05 में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन आशुलिपिकों के रिक्त पदों का उल्लेख नहीं था।

(iv) विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 15.05.2006 को प्रकाशित हुआ जिसमें 77 अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग द्वारा 77 सफल अभ्यर्थियों के तैयार मेधा क्रम में से कनीयतम 15 अभ्यर्थियों की अनुशंसा तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई जबकि उनसे वरीय अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभिन्न जिलों में आशुलिपिकों के पद पर नियुक्ति हेतु की गई।

(v) बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 25.05.2006 को 15 अभ्यर्थियों की सूचना तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई। उक्त विभाग में प्राप्त अनुशंसा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 3363 दिनांक 20.10.2006 द्वारा आयोग को वापस की गई। अर्थात् प्राप्त अनुशंसा को वापस करने में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को 7 महीने का समय लगा।

(vi) बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पत्र संख्या 568 दिनांक 16.12.006. द्वारा विज्ञापन संख्या 906/06 के आधार पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल एवं चयनित 103 अभ्यर्थियों की अनुशंसा तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी गई जिसके साथ विषयाधीन 15 आशुलिपिकों की अनुशंसा संलग्न नहीं थी जबकि आयोग कार्यालय में दिनांक 20.10.2006 को ही तत्कालीन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लौटाई गई अनुशंसा उपलब्ध थी। चार दिनों के बाद आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या 575 दिनांक 21.12.2006 द्वारा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वापस की गई अनुशंसित सूची के 15 अभ्यर्थियों की सूची तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी गई।

(vii) दिनांक 10.01.2011 को व्यक्तिगत सुनवाई के क्रम में विषयाधीन 14 आशुलिपिकों के अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रमाणित हो सके कि इन आशुलिपिकों को सचिवालय एवं संलग्न

कार्यालय में ही बनाये रखा जा सके बल्कि उन्होंने उन्हीं तथ्यों की पुनरावृत्ति की जिसे याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 15754/09 में अंकित है।

(viii) व्यक्तिगत सुनवाई के क्रम में अपने लिखित प्रतिवेदन में विषयाधीन आशुलिपिकों ने यह तर्क दिया कि बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 के प्रवृत्त होने के पूर्व आशुलिपिकों का संयुक्त संवर्ग था और दोनों ही अधियाचनाएँ नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व भेजी गई थी। लेकिन वस्तुतः इनका तर्क आधारहीन है क्योंकि उक्त नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व आशुलिपिकों का कोई संयुक्त संवर्ग नहीं था। केन्द्र सरकार के अनुरूप जब बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा का गठन किया गया तब से उक्त सेवा के बेसिक ग्रेड का पद आशुलिपिक का पद हुआ और यह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

(ix) विषयाधीन आशुलिपिकों का यह कहना कि आयोग के दिनांक 25.03.2008 के पत्र द्वारा विज्ञापन संख्या 1505/05 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा निकटतम जिला के आधार पर की गई थी, बिल्कुल गलत है। वस्तुतः उक्त अनुशंसा में ऐसा कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया था ।

12. ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत निम्न दो विकल्पों पर विचार किया गया :—

(i) संदर्भित मेधा सूची में से भी अन्य अभ्यर्थियों से विकल्प माँगा जाए और जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हों उन्हें बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में समाहित किया जाए । उक्त परिस्थिति में ये 14 आशुलिपिक बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में बने रहें।

(ii) इन 14 आशुलिपिकों को श्रम संसाधन विभाग में वापस कर दिया जाए जहाँ अन्य समरूप अभ्यर्थियों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों में इनका पदस्थापन किया जा सके।

13. उपर्युक्त दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प अपनाने में प्रथम दृष्टतया निम्न कठिनाई स्पष्टतः परिलक्षित है :—

(क) बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों की सेवा शर्त (Service Conditions) बेहतर हैं इसलिए लगभग सभी क्षेत्रीय आशुलिपिक इसमें आना चाहेंगे । वैसी परिस्थिति में अचानक ही क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिकों की कमी हो जाएगी जिसकी भरपाई तुरत संभव नहीं होगी तथा पूर्व से व्यवस्थित स्थिति अव्यवस्थित हो जायेगी।

(ख) बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इन कर्मियों के बने रहने से अथवा अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिकों के समावेश से उनकी वरीयता भी स्पष्ट नहीं होगी अर्थात् वरीयता सूची में उन्हें कहाँ रखा जाए, यह स्पष्ट नहीं होगा और विवाद की संभावना भी बनी रह सकती है।

(ग) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विज्ञापन सं0—1505/05 के लिए अधियाचना नहीं भेजी गई थी। इसलिए विज्ञापन सं0—1505/05 में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन

(111)

आशुलिपिकों के रिक्त पदों का उल्लेख नहीं था तथा आशुलिपिकों का तत्समय संयुक्त संवर्ग भी नहीं था।

(घ) विज्ञापन सं0–1505/05 स्पष्टतः क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रकाशित की गयी थी। श्रमायुक्त, बिहार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक संवर्ग के रिक्त पदों की सूचना अपने नियंत्री विभाग अर्थात तत्कालीन श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गयी थी न कि विहित प्रपत्र में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कंडिका–12(ii) को अपनाते हुए श्रम संसाधन विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापन हेतु विषयाधीन 14 आशुलिपिकों की सेवाएँ उक्त विभाग को लौटाने का आदेश दिया जाता है।

एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 4219/10, निशांत गौरव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, 9460/10, रामकटेश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा 15754/09, डिम्पी रानी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.11.2010 को दिये गये न्यायादेश का निष्पादन किया जाता है।

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रथम योगदान की तिथि से ही इनकी सेवा की गणना कर इनके वेतन का निर्धारण किया जायेगा और पूर्व सेवा की कार्यावधि की गणना पेंशनादि एवं प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

ह०/–

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 9/न्या0–09–02/2010सा0प्र0 3250 पटना, दिनांक 23.3.11

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष तथा सभी संबंधित आशुलिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/11

सरकार के संयुक्त सचिव।

(102)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Letters Patent Appeal No.75 of 2014
Arising out of
Civil Writ Jurisdiction Case No. 6140 of 2011

WEB COPY NOT OFFICIAL

1. The State of Bihar through Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna
2. The Principal Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar, Patna
3. The Joint Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar, Old Secretariat, Patna
4. The Deputy Secretary, General Administration Department, Govt. of Bihar, Old Secretariat, Patna
5. The Principal Secretary, Department of Labour Resources, Govt. of Bihar, Patna
6. The Secretary, Bihar Staff Selection Commission, P.O. Vetenary College, Patna- 14

.... **Appellants**

Versus

1. Dimpee Rani, D/o Shri Satyendra Kumar, Resident of Village- Ganpat Bigha, P.O.- Hilsa, P.S.- Hilsa, District- Nalanda, Presently Posted as Stenographer in the Department of Nibandhan, Utpad aur Madya Nishedh, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna
2. Jyoti, D/o Sri Sita Ram Singh, Resident of Village/Mohalla- Beur, P.S.- Anisabad, District- Patna at presently posted as Stenographer in the Department of Health, Vikash Bhawan, Government of Bihar, New Secretariat, Patna
3. Dharmendra Kumar, S/o Shri Krishnaj Pandit, Resident of Village- Oieyaw, P.S.- Oieyaw, District- Nalanda, Presently posted as Stenographer in the Commercial Taxes Tribunal, Commercial Tax Department, Old Secretariat, Barack No. 9A, Bihar, Patna
4. Sujeet Kumar, S/o Shri Subhash Prasad, Resident of Village/Mohalla- Garhpur, P.O. Bihar Sharif, District- Nalanda, Presently posted as Stenographer at Bihar State Law Commission, Law Department Main Secretariat, Govt. of Bihar, Patna
5. Vishwajit Kumar, S/o Shri Virendra Tanti, Resident of Village/Mohalla- Asha Nagar, P.O.- Sohsarai, P.S.- Sohsarai, District- Nalanda, Presently posted as Stenographer in State Election Commission, Bihar Panchayat Raj Department, Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Path, Patna
6. Shafika Jabeen, D/o Shri Muzaffar Hasan, Resident of Village/Mohalla- Sohdih, P.S. Sohsarai, District Nalanda, presently posted as Stenographer in Department of Finance, Govt. of Bihar, Old Secretariat, Patna
7. Pankaj Kumar, S/o Shri Nageshwar Singh, Resident of Village- Audi, P.O.- Audi, P.S. Asthawan, District- Nalanda, at presently posted as Stenographer in Chief Minister's Secretariat, 4 Desh Ratana Marg, Bihar, Patna
8. Narendra Kumar, S/o Shri Ram Sagar Thakur, Resident of Village- Mcriyawan, P.O. Sain, P.S. Dhanarua, District- Patna, presently posted as Stenographer in Mhadalit Commission, Bailey Road, Patna
9. Dhananjay Kumar, S/o Shri Shiv Nandan Prasad, Resident of Village- Dihra, P.O. Jagatpur, P.S.- Chandi, District- Nalanda, presently posted as Stenographer in Chief Minister's Secretariat, 4 Desh Ratna Marg, Bihar, Patna
10. Bharat Kumar, S/o Shri Munna Lal, Resident of Village- Noorsarai, P.O.-

13/5/16

(101)

Noorsarai, P.S.- Noorsarai, District- Nalanda, at present posted as Stenographer in Chief Minister's Secretariat, 4 Desh Ratan Marg, Bihar, Patna

11. Sanjeev Ranjan, S/o Shri Rajeshwar Prasad, R/o Village/Mohalla- Damaria, P.O. Anisabad, P.S.- Anisabad, District- Patna at presently posted as Stenographer in State Election Commission, Bihar (Panchayati Raj Department), Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Path, Patna
12. Jay Prakash, S/o Shri Ram Sagar Singh, Resident of Village- Telmar, P.O.- Telmar, P.S.- Noorsarai, District- Nalanda at presently posted as Stenographer in Directorate of Provident Fund, Finance Department, Govt. of Bihar, Old Secretariat, Bihar, Patna
13. Pravaw Ranjan, S/o Shri Brahmdeo Prasad, Resident of Village- Bahadi Bigha, P.O. Onga, P.S. Saare, District- Nalanda, at presently Posted as Stenographer in Chief Minister's Secretariat, 4 Desh Ratan Marg, Bihar, Patna

.... Respondents

WEB COPY NOT OFFICIAL

Appearance :

For the Appellants	:	Mr. Anjani Kumar, A.A.G. 6 Mr. Sanjay Prasad, A.C. to A.A.G. 6
For the Staff Selection Commission	:	Mr. Prabhat Kumar Singh, Advocate.
For the respondents	:	Mr. Sanjay Singh, Advocate. Mr. Arun Kumar, Advocate. Mr. Bipin Kumar, Advocate.

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE HEMANT GUPTA
and
HONOURABLE MR. JUSTICE AHSANUDDIN AMANULLAH

ORAL JUDGMENT

(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE HEMANT GUPTA)
Date: 06-05-2016

Heard learned counsel for the appellants, respondents and the Bihar Staff Selection Commission (hereinafter referred to as "the Commission").

2. The order dated 17th of July, 2012 passed by the learned Single Bench of this Court in C.W.J.C. No. 6140 of 2011 is subject matter of challenge in the present Letters Patent Appeal, whereby an order dated 23rd of March, 2011 passed by the State Government was set aside.

3. The Commission published an advertisement bearing No. 1505 of 2005 on 08.10.2005 for appointment of 135 Stenographers. The advertisement contemplated that such posts are in various districts including National Saving Organization, Labour Employment and Training Department in the pay scale of Rs. 4000-100-6000/-. The writ petitioners, respondents herein (for short "the applicants") were the candidates for such appointment. Out of the short-listed 77 candidates against the said advertisement, 62 candidates were given appointment. The applicants were the candidates who waited for their appointment. Later, the Commission sent the names of the applicants for appointment in the Labour Employment and Training Department on 25.05.2006. However, such recommendation was not accepted by the said Department on 20.10.2006 (Annexure-F to the counter affidavit filed by the Commission) on the ground that the information sent to the Labour Commissioner, Bihar on 19th of July, 2004 and to the Commission was the information relating to the vacant posts and was not a requisition for appointment. Consequently, the names of the applicants were sent back to the Commission. It is thereafter the Commission recommended the name of the applicants to the Personnel and Administrative Reforms Department on 21st of December, 2006 as per Annexure-H attached to the counter affidavit filed by the Commission. The said communication is in response to

(99)

the communication of the Personnel and Administrative Reforms Department dated 13th of March, 2006 while giving reference to the posts advertised vide Advertisement No. 1505 of 2005.

4. It is in pursuance of such recommendation, 15 candidates were recommended (one candidate has since resigned) and appointed by the Personnel and Administrative Reforms Department on 05.04.2007. These 14 candidates are the writ applicants.

5. A separate advertisement being Advertisement No. 906 of 2006 was published on 18th of May, 2006 (Annexure-6 to the writ application) inviting applications for total 304 vacant posts for Stenographers in the pay scale of Rs. 4000-100-6000/- in the Personnel and Administrative Reforms Department, National Saving Organization, Labour Employment and Training Department etc. The said advertisement was issued consequent to the recommendations of the General Administration Department dated 13th of March, 2006 to fill up 238 vacant posts of Stenographers. The other posts are said to be the post of Labour Employment and Training Department over and above the posts advertised earlier in terms of the alleged requisition of Labour Employment and Training Department of 54 left over vacancies of Stenographers which were not advertised while publishing Advertisement on 8th of October, 2005.

6. After the return of the names of the applicants by the

(98)

Labour Employment and Training Department, the names of the applicants were recommended to Personnel and General Administration Department on 21st of December, 2006, as mentioned above. The said recommendation was accepted and the applicants were appointed on 5th of April, 2007. At this stage, it may be mentioned that the applicants were not the candidates who submitted applications pursuant to Advertisement No. 906 of 2006.

7. After the appointment of the applicants, the candidates, who were appointed in pursuance of the first advertisement, filed C.W.J.C. No. 11718 of 2009 claiming parity with the candidates who have been appointed in the Personnel and General Administration Department. Such writ application was disposed of on 8th of September, 2009 with a direction to consider the claim of the petitioners therein. In terms of such direction, the 15 candidates who were appointed in the Personnel and General Administration Department were sent to the Labour Employment and Training Department vide order dated 10th of November, 2009.

8. The applicants filed C.W.J.C. No. 15754 of 2009 aggrieved against the said decision; whereas the other appointed candidates pursuant to Advertisement No. 1505 of 2005 filed C.W.J.C. Nos. 4219 of 2010 (Nishant Gaurav & Ors. Vs. The State of Bihar & Ors.) and 9460 of 2010 (Ram Katesh Singh Vs. The State of

(97)

Bihar & Ors.). Such writ applications were decided on 26th of November, 2010 with a direction to the respondents to pass fresh orders. This Court set aside the earlier order dated 06.11.2009. It is thereafter, the impugned order dated 23rd of March, 2011 was passed sending the applicants to the Labour Employment and Training Department against the post advertised vide Advertisement No. 1505 of 2005. It may be stated that in the meantime, there were separate set of rules which came into being; one in respect of the Stenographers of the Secretariat called Bihar Sachivalaya Ashulipik Seva Niyamavali, 2006 published on 14th of June, 2006. The candidates appointed in pursuance of Advertisement No. 906 of 2006 are the candidates governed by the said set of rules; whereas the candidates appointed pursuant to Advertisement No. 1505 of 2005 are governed by another set of rules called Bihar Kshetriya (Samaharnalaya) Ashulipik Samvarg Niyamavali, 2006 published on 9th of October, 2006. The service conditions and channel of promotion were more liberal in the Secretariat service than the conditions of service of the candidates appointed in respect of the Regional offices.

9. The learned Single Bench allowed the writ application for two reasons; firstly, the advertisement dated 18.05.2005 was wrongly issued by the Commission as the post of Labour Employment and Training Department were included without requisition; secondly,

(96) (462)

the Commission recommended the name of the applicants for the post of Stenographers of Civil Secretariat in Labour Employment and Training Department. Since such names were accepted by the Government and they were given appointment, therefore, the appointment of the applicants against the said post cannot be said to be illegal. It is in these circumstances, the State is in appeal before this Court.

10. Learned counsel for the appellants vehemently argued that the applicants were the candidates for appointment against 135 posts only. If there were number of posts not available, as communicated by Labour Employment and Training Department, the name of the applicants could not be sent for appointment in respect of another advertisement published on the basis of requisition of the other departments. It is contended that mere fact that the applicants were short-listed for appointment does not confer any right to seek appointment as mere selection does not confer any right to seek appointment. Reference may be made to State of Haryana Vs. Subhash Chander Marwaha (1974) 3 SCC 220.

11. It is further argued that the recommendation of the Commission on 21st of December, 2006 was against the requisition for 238 posts sent by the Personnel and Administrative Reforms Department on 13th of March, 2006. It is in pursuance of the said

requisition; an advertisement was published on 18th of May, 2006. Whereas the applicants have applied for the posts in pursuance of the advertisement published on 8th of October, 2005. The letter of the Commission though is in response to the communication on 13th of March, 2006 but it makes reference to the Advertisement No. 1505 of 2005 on account of which, the State Government accepted the recommendation and appointed the applicants without realizing that the requisition referred to by the Commission was different requisition and the advertisement published. Therefore, the applicants cannot be appointed in the General and Administrative Reforms Department as they were never the candidates for such appointment.

12. On the other hand, learned counsel for the respondents argued that the applicants were the selected candidates and were recommended for appointment. Since in the subsequent Advertisement No. 906 of 2006, there were posts of Labour Employment and Training Department, therefore, the applicants could very well be appointed against the said posts. Still further, the applicants were appointed in the Personnel and General Administration Department without any fault of them. Therefore, at this stage, to allocate them to the Labour Employment and Training Department would be unfair.

13. The applicants are not allocated to Labour Employment

and Training Department while recommending them for appointment. They have been allocated to Personnel and Administrative Reforms Department. The requisition of the Personnel and Administrative Reforms Department led to Advertisement No. 906 of 2006. The applicants were not candidates for appointment to any of the posts advertised subsequently i.e. Advertisement No. 906 of 2006. Since the applicants were not the candidates for such advertisement which included the vacant posts of Personnel and Administrative Reforms Department, the applicants could not be appointed in the said Department. Thus, the act of appointing the applicants in the Personnel and Administrative Reforms Department is an illegal act as no candidate can be appointed to a post against which he was not a candidate. But keeping in view the fact that the applicants were appointed by the State Government, therefore, they have to meet out the difficult situation, as they have been allocated to the Labour Employment and Training Department. By such process the interest of the applicants has been safeguarded as they have not been removed from service as in the absence of any vacant post in the Labour Employment and Training Department there may not be any other option but to ease them out but instead of turning out from service they have been ordered to be adjusted by the impugned order in the Labour Employment and Training Department. Such action is just,

(93) (459)

fair and reasonable.

14. We find that the reasoning given by the learned Single Bench is not tenable. Even if, some posts are advertised by the Commission without requisition, that will not confer any right on the applicants for appointment. There has to be a requisition, selection and then appointment. Still further, mere fact that the applicants have been permitted to join as Stenographers in the Civil Secretariat in the Personnel and General Administration Department, will not confer any equitable and legal right in their favour as they were not the applicants for any of such posts.

15. Therefore, we find that the order passed by the learned Single Bench is not sustainable in law. Consequently, the present Letters Patent Appeal is allowed, order passed by the learned Single Bench is set aside and the order dated 23rd of March, 2011 passed by the State Government and the consequential orders are upheld.

14. The Writ application stands dismissed.

(Hemant Gupta, J)

(Ahsanuddin Amanullah, J)

P.K.P./Anand
N.A.F.R.

U			